

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2

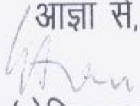
क0नि0-2-767 / ग्यारह-9(203) / 92-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(12)-2008

लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2008

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 13 के खण्ड (उन्तालीस) के साथ पठित धारा 6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जनवरी, 2008 से, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश से पूर्व क्लंकर की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन व्यापारी द्वारा देय कर की सीमा तक, ऐसे माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर सन् 2007 के उक्त अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से, छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।